

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय

दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

कमांक 1299/72/2010/1-3  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 15 नवंबर, 2010

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल, बिलासपुर,  
समस्त संभागायुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,  
छत्तीसगढ़।

विषय :- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संशोधन।

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा रिट याचिका कमांक 5664/05 (PIL) में पारित आदेश दिनांक 07.10.2006 के पालन में राज्य शासन द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 10 अगस्त, 1950 को संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची जो मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 द्वारा संशोधित की गई है, में प्रविष्टि कमांक 20, 23, 33, 34, एवं 35 पर अंकित जनजातियों के ऐसे व्यक्ति/परिवार जो अविभाजित मध्यप्रदेश के अन्तर्गत मूलतः मध्यप्रदेश से संबंध रखते हैं, किन्तु मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के लागू होने के पूर्व से पुनर्गठित छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत स्थाई रूप से बस गये हैं और वर्तमान में निरन्तर छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत हैं, को जाति प्रमाण पत्र उसी प्रकार जारी किए जाएंगे, जिस प्रकार मूलतः छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं।

2/ उक्त जातियों के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय समस्त सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक आवेदक के स्थाई निवास के संबंध में गुणदोष के आधार पर परीक्षण करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(एल.डी.चौपड़)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

11-11-2010

कमशः 2



निम्नांकित 11/2/11

पृ० क्रमांक/309/72/2010/1-3  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 15 नवंबर, 2010

01. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर,
02. महामहिम राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर,
03. सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर,
04. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
05. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर,
06. सचिव, छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर,
07. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छ.ग. रायपुर,
08. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, छ.ग. रायपुर,
09. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर,
10. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
11. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर,
12. विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छत्तीसगढ़ रायपुर,
13. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफिसर, छ.ग. शासन, रायपुर,
14. संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छ.ग. रायपुर,
15. अनुभाग अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-6 मंत्रालय, रायपुर की ओर वेबसाईट [www.cg.nic.in/gad](http://www.cg.nic.in/gad) पर अपलोड हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

11-11-2010

उपरोक्त के अनुसार कार्यवाही के लिए

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

(सचिव के स्थान पर)

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

सचिव

11-11-10

